

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-2

संख्या-112/2017/3984/दो-2-2017-28/2(19)/2017

लखनऊ: दिनांक: 27 अक्टूबर, 2017

आदेश

श्रीमती गीता यादव पत्नी स्व० शारदा प्रसाद यादव, पी०सी०एस० के भविष्य निधि निर्वाह खाता संख्या-जी०ए०यू०-76914 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- स्व० शारदा प्रसाद यादव, पी०सी०एस० के जी०पी०एफ० खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-17/मिलान डायरी-216/1081/66182 दिनांक 29-09-2017 के अनुसार वर्ष 2016-17 तक कुल जमा धनराशि रू०-18,12,153/- (रू०-अटठारह लाख बारह हजार एक सौ तिरपन मात्र) जिस पर माह 3/2017 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू०-16,30,938/- (रू०-सोलह लाख तीस हजार नौ सौ अडतीस मात्र) होती है, के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए०जी००57/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए०जी००58/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी०पी०एफ० की धनराशि स्व० शारदा प्रसाद यादव, पी०सी०एस० के जी०पी०एफ० खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

धनन्जय शुक्ल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया स्व० शारदा प्रसाद यादव, पी०सी०एस० के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
- 4- श्रीमती गीता यादव पत्नी स्व० शारदा प्रसाद यादव, पी०सी०एस०, पता-वाई/11, बी-95, त्रिवेणीपुरम, झूसी, इलाहाबाद-211019

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।